



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243558
CG-DL-E-13022023-243558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]
No. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2023/माघ 21, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2023/MAGHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 91(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12,-
(क) के उपनियम (1) में, आरंभिक भाग में "2022" अंकों के स्थान पर, "2023" अंक रखे जाएंगे;
(ख) के उपनियम (5) में, "2021" अंकों के स्थान पर, "2022" अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-1 सहज, आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3 आ.क.वि.-4 सुगम, आ.क.वि.-5, आ.क.वि.-6, आ.क.वि.-V और भारतीय आयकर विवरणी-पावती के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

आ.क.वि.- 1 सहज

भारतीय आयकर विवरणी

[किसी व्यक्ति निवासी के लिए (जो कि सामान्यतः निवासी के अतिरिक्त नहीं हो) जिसकी कुल आय 50 लाख रु. तक हो, वेतन से आय हो, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) तथा कृषि आय 5000 रु. तक हो।]
[किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो या कंपनी में निदेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या असूचीबद्ध इन्फ्रिटी शेयर्स में निवेश किया हो, यदि इएसओपी में आयकर भिन्न है।]

(पात्रता के लिए अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ष

2	0	2	3	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---

भाग क - साधारण जानकारी

(क1) स्थायी लेखा संख्या	(क2) प्रथम नाम	(क4) जन्म की तारीख	(क5) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आई.डी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)
(क6) मोबाइल नं०	(क3) अंतिम नाम	दि दि मा मा व व व व	
(क7) ई-मेलपता	पता: (क8) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. (क9) परिसर / भवन / ग्राममार्ग (क10) गली / डाकघर क्षेत्र/ अवस्थान (क11) नगर/ शहर/ जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिनकोड		
(क15) धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) / कृपया अनुदेश देखें	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब को माफ करने के पश्चात्	(क17) रोजगार की प्रकृति- <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- सी.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- एस.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-सा.क्षे.उ. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आदि)	
(क16) या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153ग		
(क18) यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)			
(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग या धारा 119(2)(ख) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है — यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डी.आई.एन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।			
(क20) क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? हां नहीं			
(क21) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]			
क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है			(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)			(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपको धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के खंड (iv) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटर्न करना अनिवार्य है? (यदि हां तो कृपया नीचे दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)			(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

भाग ख- सकल कुल आय

केवल संपूर्ण रुपए (₹) में

ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग + iघ + iङ)	i	
वेतन/पेंशन		क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
		ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख	
		ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग	
		घ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iघ	
		ङ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ	
	ii	धारा 10के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई.फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii	
	iii	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	iii	
	iv	शुद्ध वेतन (i - ii - iii)	iv	
		धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)		
		क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	ivक	
		ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख	
		ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग	
	v	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (iii - iv)	v	
ख2		लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> स्व:अधिभोग <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई		
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराए का मूल्य	i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत कर	ii	
	iii	वार्षिक मूल्य (i + ii)	iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत	iv	
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v	

vi	बकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%	vi	
vii	गृह संपत्ति शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv - v) + vi	ख ₂	
ख ₃	अन्य स्रोतों से आय (झापडाउन जैसे बचत खाते, जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें)		
	घटा: धारा 57(क) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में);		
	घटा: धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	ख ₃	
ख ₄	सकल कुल आय (ख ₁ + ख ₂ + ख ₃); यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें; नोट: क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 2 का प्रयोग करें	ख ₄	

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)

80ग	80गग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80ड	80डड
80डडक	80डडख	80डडख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80डडख	80डडखक (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80डडखग	80डडखनक	80डडखनख	80डडखप (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	
कुल कटौतियां				ग ₁	कुल आय (ख ₄ - ग ₁)			ग ₂	
रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय					छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में झापडाउन का उपबंध करें				

भाग घ - संदेय कर की संगणना

घ ₁	कुल आय पर संदेय कर	घ ₂	धारा 87क के अधीन छूट	घ ₃	रिबेट के पश्चात् कर
घ ₄	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ ₃ पर @ 4% उपकर	घ ₅	कुल कर और उपकर	घ ₆	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया छूट के लिए फार्म 10ड को भरना सुनिश्चित करें।)
घ ₇	धारा 234क के अधीन ब्याज	घ ₈	धारा 234ख के अधीन ब्याज	घ ₉	धारा 234ग के अधीन
घ ₁₀	धारा 234च के अधीन फीस	घ ₁₁	कुल कर, फीस और ब्याज (घ ₅ + घ ₇ + घ ₈ + घ ₉ + घ ₁₀ - घ ₆)	घ ₁₂	प्रतिदाय (घ ₁₁ - घ ₁₀) (यदि घ ₁₁ > घ ₁₀)
घ ₁₃	कुल संदेय कर	घ ₁₃	कुल संदेय (घ ₁₁ - घ ₁₂) (यदि घ ₁₁ > घ ₁₂)	घ ₁₄	प्रतिदाय (घ ₁₂ - घ ₁₁) (यदि घ ₁₂ > घ ₁₁)

भाग ड - अन्य जानकारी - पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण

(अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रम सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
I				

1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।

2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुबिध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

अनुसूची - आयकर आय - करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यॉरि

	बीएसआरकोड				निकषे की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)				चालान सं.				संदत कर			
	(स्तंभ i)				(स्तंभ ii)				(स्तंभ iii)				(स्तंभ iv)			
आर 1																
आर 2																

अनुसूची - स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संगृहित कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यॉरि [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता/संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16/16क/16ग/27घ]

	कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पेन/आधार सं.	कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता/किराएदार का नाम	समय संदाय/रसीद, जो कर कटौती/संग्रहण के अधीन है	कर कटौती/संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया/संग्रहण किया गया कर	(5) में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/टीसीएस
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी ₁						
टी ₂						

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्रासिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर

मैं,पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए झापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)।

तारीख: हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यॉरि नीचे दें :

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्ररूप आ.क.वि-2

भारतीय आयकर विवरणी
[व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है]
[नियम 12 देखिए]
(कृपया अनुदेश देखे)

निर्धारण वर्ष

2	0	2	3	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---

भाग क- साधारण साधारण

(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं. (पैन)
(क6) प्लेट / द्वार / ब्लाक सं०	(क7) परिसर / भवन / गांव का नाम	(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> व्य-टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब
(क8) मार्ग / गली / डाकघर	(क14) जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष)		
(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
(क10) नगर / शहर / जिला	(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / ज़िप कोड	
	(क12) देश		
(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. 1	(क17) मोबाइल नं० 2		
(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)	(क19) ई मेल पता -2		

(क20) धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाए) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ-उपांतरित विवरण
या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्
(क2) क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अभी विकल्प चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> विकल्प नहीं चुन रहे <input type="checkbox"/> विकल्प जारी <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर
(ख) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]
(खi) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खii) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खiii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खiv) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिह्न) हां नहीं

(ग) यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)	/ /
(घ) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153 ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19 गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरे।	(यूनिक नंबर) / /
(ङ) भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यष्टिक के लिए) (लागू विकल्प का अ. निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है]

	चयन करे)		<p>आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)]</p> <p>आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या</p> <p>ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए , यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]</p>				
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <p>आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)]</p> <p>आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. के अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित</p>				
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (i) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करे -				
			क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)		
			1				
			2				
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करे -				
			पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)			
	भारत में निवासीय प्रास्थिति (हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करे)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी	<input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं		<input type="checkbox"/> अनिवासी		
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)						
(ज)	क्या आप एफ.आई.आई/एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी पंजीकरण प्रदान करें						
(झ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -						
	(1)	प्रतिनिधि का नाम					
	(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
	(3)	प्रतिनिधि का पता					
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार					
(ञ)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -						
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसक शेरर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)		
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)					
()	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेरर थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेररों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे						
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित शेरर	वर्ष के दौरान अंतरित शेरर	
						अंतिम अधिशेष	

	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)		नियोजक का ट्रेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर		राज्य	
				पिन कोड / ज़िप कोड	
1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
अनुसूची	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ		
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ		
	च	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के तहत गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	1च		
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़ें)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
2क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			2क	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)			3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I					
II					

4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।	
टिप्पण	किराएदार का पैना/आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है	

अनुसूची -गछ पूंजी अभिलाभ

अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अ अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)									
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)								
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य		का				
			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		काii				
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [यदि (काii), (का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (का) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे।		काiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खा				
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खाii				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खाiii				
			iv	कुल (खा + खाii + खाiii)		खाiv				
		ग	अतिशेष (काiii - खाiv)							1ग
		घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)							1घ
		ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)							अ1
		च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
			क्रं. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैना/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
		टिप्पण	पैना/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झ के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
		2	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है							
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खा		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खाii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खाiii			
			iv	कुल (i + ii + iii)			खाiv			
		ग	अतिशेष (2क - खाiv)							2ग
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)				2घ			
		ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)							अ2
	3	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)								
		क	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है				अ3क			
		ख	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है				अ3ख			

4		अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न हैं) के विक्रय से		
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)	खाiv	
	ग	अतिशेष (4क iii - खाiv)	2ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक			2घ
ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)			अ4ङ
5		उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)	खाiv	
	ग	अतिशेष (5क iii - खाiv)	5ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न			5घ
ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ)			अ5ङ

6	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
	ii	2020-21	54ख							
	ख क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कx + ख)								क6	
7	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)								अ 7	
	क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7क			
	ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7ख			
	ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7ग			
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है									
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	I									
	II									
	क	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि जो कर प्रभार्य नहीं है							क8क	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि विशेष दरों पर कर प्रभार्य है							क8ख	
9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)								क 9	
आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)										
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)								
		संनिर्माण की तारीख दिन/मास/वर्ष			बिक्री/हस्तांतरण की तारीख			दिन/मास/वर्ष		
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य				का		
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii		
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।				काiii		
		ख धारा 48 के अधीन कटौती								
			i	अधिग्रहण की लागत				खाi		
			iiक	सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत				खाiiक		
			iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत				खाiiख		
			(क)	संशोधन की लागत						
		(ख)	संशोधन वर्ष							
		(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत							
		पंक्ति जोड़े								
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय						खाiii		

	iv	कुल (खाक + खाख + खांiii)	खiv						
ग	अतिशेष (कiii - खiv)		1ग						
घ	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद		1घ						
ड	स्थायर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)			आ1ड					
च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)								
	क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य	
टिप्पण	▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना आज़ापक है यदि धारा194-इक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।								
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य			2क					
ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खा					
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खाii					
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खाiii					
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)		खiv					
ग	अतिशेष (2क - खiv)			2ग					
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			2घ					
ड	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)							आ2ड	
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य			3क					
ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खा					
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खाii					
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खाiii					
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)		खiv					
ग	धारा 54डग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट			3ग					
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			3घ					
ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ							आ3ड	
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से								
क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)			4क					
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			4ख					
ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)							ख4	
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)								
क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूंअ			5क					
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			5ख					
ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)							आ5ग	
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)								
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।							
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			िक				

		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
	ii		कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii		कुल (iग + ii)	क iii		
	ख धारा 48 के अधीन कटौती					
	i		सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi		
	ii		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii		
	iii		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii		
	iv		कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv		
	ग		अतिशेष (6क iii - खाiv)	6ग		
	घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	6घ		
	ङ		अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (6ग - 6घ)		आ	
7	अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					
	क		धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क		
	ख		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	7ख		
	ग		उपर्युक्त आ 7 पर पूँजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ (7क -7ख)		ख7ग	
8	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)					
	क		विनिदिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क		
	ख		धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ख		
	ग		विनिदिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ङ	
	घ		विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना संगणित)	8घ		
	ङ		धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ङ		
	च		विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च	
9	जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से					
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
		iii	कुल (iग + ii)	कiii		
	ख धारा 48 के अधीन कटौती					
	i		सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi		
	ii		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii		
	iii		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii		
	iv		कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv		
	ग		अतिशेष (9कiii - खाiv)	9ग		
	घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	9घ		

ड उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)								आ 9ड
10 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
क क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं हाँ; नहीं; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरा प्रदान करें)								
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची			
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि				
i	2019-20	54/54च/54छ						
ii	2020-21	54ख						
ख क से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+काii+ख)								ख 10
11 दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 +								ख 11
क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क1		
क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क2		
ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11ख		
12 एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं								
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/ नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
I								
II								
13 आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ								ख13
इ1	पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की पूंजीगत लाभ राशि (का19 + ख13 (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें)							इ1
इ2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)							इ2
इ3	"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1 + ग2)							इ3
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना							
1	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरा दीजिएं							
क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती							
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				क i	दिन / मास / वर्ष		
ii	नए आवासीय घर की लागत				क ii			
iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख				क iii	दिन / मास / वर्ष		
iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम				क iv			
v	दावा की गई कटौती की रकम				क v			
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती							
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				ख i	दिन / मास / वर्ष		
ii	नई कृषि भूमि की लागत				ख ii			

vi	दीर्घकालिक	10%	(आ3ड + आ4ग+ आ6ड + आ7ग+ आ8ग + आ11क1 + आ11क2)								
vii	पूँजी अभिलाभ	20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8घ+ आ9ड+ आ10 + आ11ख)								
viii		डीटीए ए दरें	आ12ख								
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)										
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)										

ऊ प्रोद्भवन की जानकारी / पूँजी अभिलाभ की रसीद

	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2	30%की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3	लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
5	10%की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
6	20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					
7	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3ix से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूँजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 16 से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7की समस्त सकारात्मक आय की राशि ((अनुसूची सी.जी का मद सं.ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल (क i + क ii)	1क	
i	लाभांश आय धारा 2(22)(ड़) के तहत	क i	
ii	(i) के अतिरिक्त लाभांश आय	क ii	
ख	ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	बचत बैंक से नीचे	खाi	
ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खाii	
iii	आयकर प्रतिदाय से	खाiii	
iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर)स्रोत का उल्लेख करें (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv	

v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ड	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ड	
क्र सं.	प्रकृति		राशि	
1	पारिवारिक पेंशन			
2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
3	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
4	धारा 89क के तहत गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया			
	यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड एस1 से संबंधित तत्व)		2	
क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य		2क	
ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांव + खv + खvi)		2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां		
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii		
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii		
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv		
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष		2ग	
	क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ i से घxix का योग)		2घ	
	i अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i		
	ii सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii		
	iii अवसंरचना ऋणि निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii		
	iv धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv		
	v धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v		
	vi धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi		
	vii धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii		
	viii सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii		
	ix धारा 115कग के तहत प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix		

X	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x									
xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi									
xii	प्रतिभूतियों (लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii									
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii									
xiv	धारा 115खखक के तहत प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv									
Xv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv									
xvi	धारा 115क(1)(अ)(i)(कक) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi									
xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii									
xviii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में - आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घ xviii									
xix	अनिवासी भारतीय की निवेश आय - धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घ xix									
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रपडाउन उपबंधित करें)									2ड	
च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)									2च	
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 का, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनक क की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)										
	का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)					3का				
	काii	धारा 57(i) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1(क) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)					3काii				
	काii क	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3काiiक				
	काiii	धारा 57(ii)क के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)					3काiii				
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख				
	ग	योग					3ग				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5	
5क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत हेतु आय का दावा									5क	
6	[1 (डीटीए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)									6	
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)									7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय										

क	प्राप्तियां	8क						8ड
ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन	8ख						
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग						
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ						
ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)							
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)							9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टबाजी से जीत पर आय						
	2	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3	धारा 115क(1)(क)(i)के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
	4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
	5	धारा 115कगक (1)(क) के तहत 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
	6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						
	8	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के तहत राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)						
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें ।							

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)			

v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)			
ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)			
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)			
xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
xii	रेस के छोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 88)			
xiii	कुल अग्रनीत हानि छोड़ना (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन

पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालु वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	

X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
XI	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
Xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि

आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
i	2015-16					
ii	2016-17					
iii	2017-18					
iv	2018-19					
v	2019-20					
vi	2020-21					
vii	2021-22					
viii	2022-23					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
xi	2023-24 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2भाi)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2भा+3भा+4भा+5भा)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भा+7भा+8भा)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि					

नुकसान को आगे जाना

अनुसूची- VI क

अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती	
क	80ग	ख 80गगग
ग	80 गगघ (1)	घ 80 गगघ (1ख)
ङ	80 गगघ(2)	च 80घ
छ	80घघ	ज 80घघख
झ	80ङ	ञ 80ङङ
ट	80ङङक	ठ 80ङङख
ड	80छ	ढ 80छछ
ण	80छछक	त 80छछग
2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती	
थ	80थथख	द 80ददख

कुल कटौतियां

ध	80ननक		न	80ननख		
प	80प					
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कल कटौतियां (क से प का योग)					3

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान									
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम			
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान				
	i									
	ii									
	iii कुल									
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान								
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम		
					नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान			
		i								
		ii								
		iii कुल								
		ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान							
			आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
						नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
			i							
ii										
iii कुल										
घ			अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान							
			आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
							नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
			i							
	ii									
	iii कुल									

ड कुल दान (का ⁱⁱⁱ + खा ⁱⁱⁱ + गा ⁱⁱⁱ + घ ⁱⁱⁱ)							
---	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची 80 छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (झाप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

धारा 115अग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115अ(2) के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की	2क
	3	धारा 115अग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)	3
4	धारा 115अग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

धारा 115अघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115अग के अधीन कर	1				
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2				
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3				
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
I	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
ix	2021-22					
x	2022-23					

	xi	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xii	योग					
5		वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5	
6		पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6	

अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय विनिदिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गांiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गांiv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
4	112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
9	115ड (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)	
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का 2ग)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	

18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2च का भाग)
21	15% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
22	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3v का भाग)
23	धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)
24	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii का भाग)
25	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
			कुल	

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

प्रप्त	1	ब्याज से आय						1		
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii			
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii			
		iv	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2			
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)							
			क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है						
			ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप						
			ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
			घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
		3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)						3	
		4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय							
			क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	
			I							
		II								
		III	कर से अप्रभार्य डीटीए से कुल आय				4			
	5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)						5		
	6	योग (1+2+3+4+5)						6		

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				का।	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खा।	धारा 112क के अलावा					
				iii	अन्य स्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धाराके अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
				2.				i	गृह संपत्ति	
ii	पूँजी अभिलाभ									
क	अल्पकालिक अवधि									
का	धारा 111क									
का।	अन्य									
ख	दीर्घकालिक अवधि									
खा	धारा 112क									
खा।	धारा 112क के अलावा									
iii	अन्य स्रोत									
क	लाभांश									
ख	अन्य									
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी									
क	धारा 10(23चखख) के अधीन									
ख	धाराके अधीन									
ग	धारा.....के अधीन									

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एफएसआई

भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख टाक आई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी टाक एए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची टि.आर भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
			कुल		
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ड) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीए लागू होता है (धारा 91) (1(ड) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें ।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	A1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)										

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभ/विशेष से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोद्भूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां हैं तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।

क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यय होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम				
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या				
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूँजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी हैं)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ) हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)				
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें ।				

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?		उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं	चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3- 7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तिथि व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? ○ हां ○ नहीं यदि हां, तिथि बताएं			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)		

2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				
3	2023-24					

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
3	पूँजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9i)	का	
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	काii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9v)	काiii	
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	काiv	
	v कुल लघु अवधि (का + काii + काiii + काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खा	
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खाii	
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खाiii	
	iv कुल दीर्घ अवधि (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv	
	ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग	
	घ धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का सी2)	3घ	
	ङ कुल पूँजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)	3ङ	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची णध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसूची णध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ङ+4घ)	5	
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11	

12	कुल आय (9-11)	12
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13
14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छू ट प्राप्त आय का 3)	14
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित मन्तर कर का 4)	1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख)3 पर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)		1 घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क		
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख		
			10 Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)			
			11 Total income			
			12 Net agricultural income / any other income for rate purpose			
		13 'Aggregate income' (8+ 9)				
		14 Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and CYLA)				
	ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग			
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)		2घ		
3		धारा 87क के अधीन रिबेट		3		
4		रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)		4		
5		अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार		
	i	अनुसूची ध.ज के 15(ii) के 25%	5i	iक		
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	5ii	iiक		
	iii	अनुसूची एस.आई के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर]	5iii			
	iv	कुल (i + ii + iii)		5iv		
6		(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)		6		
7		सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)		7		
8		कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम) (8क + 8ख)		8		
8क		धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80आई.ए.सी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)		8क		

8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				8ख	
8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)				8ग	
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)					
10	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)					
11	कर राहत					
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क			
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची टाळ आर का 2)	11ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची टाळ आर का 3)	11ग			
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)	11घ			
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				12	
13	ब्याज और संदेय फीस					
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	13क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	13ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)	13ग			
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ			
	ङ	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)	13ङ			
14	संकलित दायित्व (12+ 13ङ)				10	
15	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15क			
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15ख			
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 7(i) का योग)	15ग			
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15घ			
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	15ङ			
16	संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
17	प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।				हां. अथवा नहीं का चयन करें	
	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय हेतु खाते पर <input checked="" type="checkbox"/> करें)	
	i					
	ii					
	नोट:					
	1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।					
	2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।					
	यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।					
	ii	अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:				
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आई.बी.ए.एन	
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	

20	अनुसूची-आयकर													
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे													
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)				चालान का क्रम सं.		रकम (रु.)		
	(1)	(2)				(3)				(4)		(5)		
	i													
	ii													
	iii													
	iv													
टिप्पण ▶ भाग ख - टी टीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।														
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]													
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)				नियोजक का नाम				वेतन के अधीन प्रभार्य आय		कटौती किया गया कुल कर		
	(1)	(2)				(3)				(4)		(5)		
	i													
	ii													
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें														
ग	कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16 ङ													
क्र सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुसूची रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा						
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)			सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							आय टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं			
i														
टिप्पण - कृपया भाग ख - टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें														

घ स्रोत पर कर संग्रहण का विवरण(टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]											
अन्य आय पर टी.सी.एस	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस /धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैना (यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष की टीसीएस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
					वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशि बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
										टी.सी.एस पैना	
	i										
टिप्पणी ▶	भाग ख-टी.टी.आई के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल कृपया दर्ज करें										

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख	स्थान	यहां हस्ताक्षर करें →
-------	-------	-----------------------

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्रश्न	आ.क.वि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) (नियम 12 देखिए) (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	3	-	2

भाग क- जी.ई.एन

व्यक्तिगत सूचना	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०	
	फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / ग्राम का नाम		प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्य-ट <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कु टुंब	
	सड़क / गली / डाक घर	जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / व-1)			
	क्षेत्र / अवरथान	आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)			
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / जिप कोड		
		देश			
	निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1		मोबाइल नं० 2		
	ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2		
	(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई(सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	□ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व □ 139(4)- विलंबित, □139(5)- पुनरीक्षित, □92गघ- उपांतरित विवरणा, □ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्		
		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	□ 139(9) □ 142(1) □ 148 □ 153ग		
(ख)	क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? □ हां □ नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो, कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें) ख. क्या आपने 115खकग के बाहर पूर्ववर्ती वर्षों में विकल्प चुना है? □ हां □ नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें प्रपत्र 10- आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें) ग. चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प □ अब चुना जा रहा है □ चुना नहीं जा रहा □ विकल्प जारी रखना □ विकल्प से बाहर निकलना □ विकल्प के लिए योग्य नहीं ("चुना जा रहा" तभी चयन करें जब आप पहली बार विकल्प चुन रहे हों)				
(खi)	चुना नहीं जा रहा, तथा विकल्प जारी रखना, तथा विकल्प के योग्य नहीं, के अलावा प्रस्तुत करें।	प्रपत्र 10-आई.ई भरने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती क्रमांक:		
(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) □ हां □ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]				
(गi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)			
(गii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)			
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)			
(गiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिन्ह) □ हां □ नहीं			
(घ)	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /			
(ङ)	यदि धारा 139(9)/ 142(1)/ 148/ 153ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिक नंबर/ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना/ आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	(यूनिक नंबर)	/ /		
(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	□ आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] □ आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा 6(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों]		

फाइल करने की प्रास्थिति

		<input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ दिया, भारतीय जहाजरानी पर कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत में 182 दिनों के लिए थे या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए था इससे अधिक [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(क)]									
		<p>आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं</p> <p>क) 182 दिनों के लिए या उससे अधिक गत वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक; या</p> <p>ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए या उससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(ख)]</p>									
	(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <p>आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय i. विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक है; तथा ii. भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)]</p> <p>आप भारत के नागरिक हैं जो धारा 6 के खंड (1) के तहत अनिवासी नहीं हैं और धारा 6 के खंड (1क) के तहत भारत का निवासी माना जाता है। जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित</p>									
	(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (ii) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>निवास की अधिकारिता (ओं)</th> <th>करदाता (ओं) की पहचान संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या	1			2		
क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या									
1											
2											
		(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)</th> <th>पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)							
पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)										
	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी									
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)										
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें										
(1)	प्रतिनिधि का नाम										
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)										
(3)	प्रतिनिधि का पता										

(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या													
(अ)	क्या आप पूर्व वर्ष दे दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें। -													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध							निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)			
(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
	फर्म का नाम			स्थायी लेखा सं.										
(ठ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय / क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ढ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
(ण)	क्या निर्धारित की अंतरराष्ट्रीय वित्तियी सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(त)	क्या आप एफ.आई.आई./एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी पंजीकरण प्रदान करें													
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2)	क्या निर्धारित केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कघ / 44कघक / 44खखक / 44खखख के तहत आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष) / /												
	(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम												
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या												
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी / फर्म)												

(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या		
(6)	स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.		
(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख		
(घा)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(घाii)	यदि (घा) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	हां	नहीं
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (दि.मा.।व(कृपया निर्देश देखें)		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	क्रम सं.	सेक्शन कोड	तारीख (दिदि / मास / वर्ष)
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।		
	अधिनियम और धारा	दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष	अधिनियम और धारा
			दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष

कारबार की प्रकृति

कारबार या बृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या बृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)

क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क - तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र

(ऐसे मामले में जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोग	1	स्वामी की निधि					
	क	स्वामी की पूंजी			क		
	ख	आरक्षित और अधिशेष					
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा			
		ii	पूंजी आरक्षित	खाii			
		iii	कानूनी आरक्षित	खाiii			
		iv	कोई अन्य आरक्षित	खाiv			
		V	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)		खv		
		ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)			1ग	
	2	ऋण निधियां					
		क	प्रतिभूत ऋण				
			i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i		
			ii	रूप में ऋण			
			अ	बैंकों से ऋण	iiअ		
			आ	अन्य से	iiआ		
			इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ		
			iii	योग (का + iiइ)		काiii	
		ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)				
			i	बैंकों से ऋण	खा		
			ii	अन्य से	खाii		
			iii	योग (ख i + खाii)		खाiii	
		ग	योग ऋण निधि (काiii + खाiii)			2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व				3	
	4	अग्रिम					
		i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से		i		
	ii	अन्यों से		ii			
	iii	कुल अग्रिम (i + ii)			ल		
5	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)				5		
1	स्थिर आस्तियां						
	क	सकल	ब्लॉक	1क			
	ख	अवक्षयण		1ख			
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क - ख)		1ग			
	घ	चल रहा पूंजी कार्य		1घ			
	ङ	योग (1ग + 1घ)			1ङ		
2	विनिधान						
	क	दीर्घकालिक विनिधान					
		i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का			
		ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii			
		iii	योग (का + काii)		काiii		
	ख	अल्पकालिक विनिधान					
		i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा			
		ii	अधिमानी शेयर	खाii			
		iii	डिबेंचर	खाiii			
		iv	योग (खा + खाii + खाiii)		खiv		
	ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)			2 ग		

3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
	क चालू आस्तियां			
	I	बीजक		
	अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली बैंकिंग सामग्री भी है	iअ	
	आ	कच्ची सामग्री	iआ	
	इ	कार्यरत भंडार	iइ	
	ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई	
	उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
	ii	अन्यान्य ऋणी		काii
	iii	नकद और बैंक अतिशेष		
	अ	हस्तगत नकदी	iiiअ	
	आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ	
	इ	योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ
	iv	अन्य चालू आस्तियां		काiv
	V	कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)		कv
	ख ऋण और अग्रिम			
	i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा	
	ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खाii	
	iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खाiii	
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)		खाiv
	ग चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)			3ग
	घ चालू दायित्व और उपबंध			
	I	चालू दायित्व		
	अ	अन्यान्य लेनदार	iअ	
	आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
	इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ	
	ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोधय नहीं हैं	iई	
	उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
	ii	उपबंध		
	अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
	आ	छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ	
	इ	अन्य उपबंध	iiइ	
	ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई
	iii	योग (iउ + iiई)		घiii
	ड शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ड
4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय		4क	
	ख आस्थगित कर आस्ति		4ख	
	ग लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष		4ग	
	घ योग (4क अ 4ख अ 4ग)			4घ
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)			5
कोई लेखा मामला नहीं	6 उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती हैं - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2023 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम		6क
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम		6ख
	ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम		6ग
	घ	नकदी बकाया की रकम		6घ

भाग क- विनिर्माण
लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा (जहाँ नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती हैं उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टोक	i		
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टोक	ii		
		iii	कुल (i + ii)	काiii		
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा + घाii + घाiii)			घ	
	i	आवक वहन व्यय	i		ड.vii	
		विद्युत आर ईंधन	ii			
		अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड.	कारखाने का उपरी खर्च				
	i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			ड.vii
		कारखाना किराया और दरें	ii			
		कारखाना बीमा	iii			
कारखाना ईंधन और विद्युत		iv				
कारखाने का साधारण व्यय		v				
कारखाना मशीनरी का अवक्षयण		vi				
vii		कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)				
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)			1च		
2	बंद स्टोक					
	i	कच्ची सामग्री	2i			
	ii	चालू काम	2ii			
	कुल (2i + 2ii)			2		
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)			3		

भाग क - व्यापारिक
लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

4	संक्रियाओं से राजस्व					
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्त शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
		क			iiiा	
			ख		iiiब	
			ग	कुल (iiiक + iiiख)	iiiग	
	iv	कुल (i + ii + iii ग)	काiv			
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्त			ख	
	ग	बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	iv		
v		राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	v			
vi		समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	vi			
vii		संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	vii			
viii		कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
ix		कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)	गाix			

व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय

	घ	संक्रियाओं सले कुल राजस्व (कांv + ख+गाix)		4घ	
5		तैयार माल का अंतिम स्टॉक		5	
6		व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)		6	
7		तैयार माल का आरंभिक स्टॉक		7	
8		क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)		8	
9		प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9	
	i	आवक वहन व्यय	9i		
	ii	विद्युत और ईंधन	9ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii		
10		क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।			
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रति शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii		
	ix	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	10ix		
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x		
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xi i	
11		माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित		11	
12		कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		इंट्राडे का कारबार		12क	
12ख		इंट्राडे कारबार की आय-लाभ तथा हानि को अंतरित		12ख	

भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)

	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख)		13	
	14	अन्य आय			
		i	किराया	i	
		ii	कमिशन	ii	
		iii	लाभांश आय	iii	
		iv	ब्याज आय	iv	
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v	
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi	
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii	
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii	
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix	
		x	कृषि आय	x	

लाभ और हानि लेखा में जमा

	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xia	
		ख		xib	
		ग	योग (xiक + xiख)	xic	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)			15
हानि लेखा	16	बर्हिगामी माल भाडा			16
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग			17
	18	विद्युत और ईंधन			18
	19	किराया			19
	20	भवनों की मरम्मत			20
	21	मशीनरी की मरम्मत			21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
		i	वेतन ओर मजदूरी	22i	
		ii	बोनस	22ii	
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii	
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv	
		v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v	
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi	
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii	
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii	
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix	
		x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x	
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)		22xi
		xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं
			यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख	
	23	बीमा			
		i	चिकित्सा बीमा	23i	
		ii	जीवन बीमा	23ii	
		iii	कीमेन्स बीमा	23iii	
		iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv	
		v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v
	24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय			24
	25	मनोरंजन			25
	26	सत्कार			26
	27	सम्मेलन			27
	28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			28
	29	विज्ञापन			29
	30	कमीशन			
		i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
		ii	अन्यों को संदत्त	ii	
		iii	योग (i + ii)		30iii
	31	स्वामिस्व			
		i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
		ii	अन्यों को संदत्त	ii	

	iii	योग (i + ii)			31iii		
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस						
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i				
	ii	अन्यों को संदत्त	ii				
	iii	योग (i + ii)			32iii		
33	होटल, बोर्डिंग और वासा					33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय					34	
35	विदेशी यात्रा व्यय					35	
36	वाहन व्यय					36	
37	टेलीफोन व्यय					37	
38	अतिथि गृह व्यय					38	
39	क्लब व्यय					39	
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय					40	
41	छात्रवृत्ति					41	
42	दान					42	
43	संदान					43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय.कर को छोड़कर)						
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i				
	ii	सेवा कर	44ii				
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii				
	iv	उपकर	44iv				
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v				
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi				
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii				
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii				
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix				
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x		
45	संपरीक्षा फीस					45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
	i		i				
	ii		ii				
	iii	कुल (i + ii)			46iii		
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)						
	i1				47i1		
	i2				47i2		
	i3				47i3		
		अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)	47i				
	ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)	47ii				
	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii				
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)			47iv		
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध					48	
49	अन्य उपबंध					49	
50	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]					50	
51	ब्याज						

	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी के लिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	कुल (i + ii)			51iii	
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52	
53	करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)				53	
कर और विनियोग के लिए उपबंध	54	चालू कर के लिए उपबंध			54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान			55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)			56	
	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष			57	
	58	विनियो के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)			58	
	59	आरक्षित और अधिशेद के लिए अंतरित			59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 - 59)			60	
	उपधारात्मक मामले	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना			
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
		(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (i + ix)		61i	
		(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	i + ix		
		(ख)	कोई अन्य रीति	ix		
		(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (ii + ix)		61ii	
		(क)	61i का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	ii + ix		
		(ख)	61ix का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	ix		
		टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।				
62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	(i)	सकल प्राप्तियाँ		62i		
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)		62ii		
	टिप्पण - यदि आय सकल प्राप्त के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।					
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिटीक टन में)	महिनो की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था ।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु० दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु० प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)					
	(ख)					
		कुल				
	आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
	(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]			63(iii)	

		टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व /पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।	
लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।	
		(i) कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए	
		क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)
			ik
		1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त
			क1
		2	कोई अन्य रीति
			क2
		ख	सकल लाभ
			ix
		ग	व्यय
			ig
		घ	शुद्ध लाभ
			64i
			(ii) वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	
		lia	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	
		क 1	
	2	कोई अन्य रीति	
		क 2	
	ख	सकल लाभ	
	ग	व्यय	
	घ	शुद्ध लाभ	
		64ii	
		(iii) कुल लाभ(64i + 64ii)	
		64iii	
	65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत
			65i
		ii	सकल लाभ
			65ii
		iii	खर्च यदि कोई हो
			65iii
		iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)
			65iv

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> वाणिज्यिक	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है <input type="checkbox"/> नहीं	(चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> हाँ	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख		
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति			
		क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
		ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
		ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
		घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
		ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क		

	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क +5ख +5ग +5घ +5ङ)		5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनजेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(iii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiा)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभृतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभृतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलि नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ	
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द	
	ध	धारा 36 के अधीन अनुनजेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6 ध
7	धारा 37 के अधीन अनुनजेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	कारवार या वृति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ	

	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i क) XVII- ख	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (ix) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII- ख	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ	
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (ii क)]	अच	
	छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ	
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज	
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)	8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	
9		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ	
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)	9च	
10		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च	

	ख रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10ख	
	ज धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10ज
11	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय		
	क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क	
	ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग	
	घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	चक कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11चक	
	ड किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड	
	च छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च	
	ख रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11ख	
	ज धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम		
	क संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख सेवा कर	12ख	
	ग मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग	
	घ केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
	ड राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ड	
	च एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
	ख संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12ख	
	ज कोई अन्य करम	12ज	
	झ बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम		16
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44 खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क) किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में		
	1 आरंभिक स्टाक		1
	2 पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2
	3 पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3
	4 अंतिम स्टाक		4
	5 कमी / अधिक यदि कोई हो		5
	(ख) किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में		
	6 कचची सामग्री		
	क आरंभिक स्टाक		6क
	ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		6ख
ग पूर्व वर्ष के दौरान खपत		6ग	

	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार माल	6च	
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज	
7	तैयार माल / उपोत्पाद			
	क	आरंभिक स्टॉक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	7ङ	
	च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ यथा लागू भर्ने।

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिले कोड	
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)			1	
वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ		
	ङ	अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ		
	च	गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय जिसमें धारा 89क के तहत अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च		
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
2क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			2क	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)			3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	I						
	II						
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II				
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
	क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य					1क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख				
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		1ग				
	घ योग (1ख + 1ग)		1घ				
	ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)					1ङ	
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)					1च		
छ 1च का 30%		1छ					
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		1ज					
झ योग (1छ + 2ज)					1झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया					1ञ		
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)					1ट		
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)							
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता			
I							
II							
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)		
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I					
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II					
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया							
क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)					2क		
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा		2ख					

ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)		2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)		2च	
छ	1च का 30%	2छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ	योग (2छ + 2ज)		2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया		2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)		2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *		3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/ अंक लेवें)		4	
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण	किराएदार का पैना/आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से			
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))		1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) / क्रम सं. 12ख का ट्रेडिंग खाता + क्रम सं 65iv अनुसूची लाभ और हानि का 65(4)/	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख		
	3	धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अन्य शीर्षों के तहत आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्तियां/ आय	क	वेतन	3क
			ख	गृह संपत्ति	3ख
			ग	पूजी अभिलाभ	3ग
			घ	अन्य स्रोत	3घ
			ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ
	च	115खखछ के अधीन	3च		
	छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत)	3छ		
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कङ/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क		
	4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन))	4ख		
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छू ट प्राप्त है			
	क	फर्मों से आय का अंश	5क		
5ख					
ग			कोई अन्य छू ट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)		
i			ग i		
ii			ग ii		
iii			योग (ग i + ग ii)	5 ग	
घ	कुल छू ट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ			
6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3च - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ)	6			

7	क	वेतन	7क	
	ख	गृह संपत्ति	7ख	
	ग	पूजा अभिलाभ	7ग	
	घ	अन्य स्रोत	7घ	
	ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ	
	च	115खखछ के	7च	
	छ	धारा 115खखज (अधियहण की लागत के अलावा)	7छ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित			8क
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन और नामजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)			8ख
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 7छ + 8क + 8ख)			9
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)			10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण			11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ड त का)	12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii	
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)			13
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)			14
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)			15
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)			16
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)			17
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)			18
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज			19
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ			21
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			22
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें			23
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में			24
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मददे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची णझ के			25
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27
28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची उधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35जगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)			28
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)			29
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)			30

31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31			
32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मददे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची ण्ड के स्तम्भ 3ख + 4ड)	32			
33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33		
34	आय (13+26-33)		34		
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -				
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	35i			
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62(ii))	35ii			
	iii धारा 44कड (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	35iii			
	iv धारा 44ख	35iv			
	v धारा 44खख	35v			
	vi धारा 44खखक	35vi			
	vii धारा 44घक	35vii		(प्ररूप उ ग ड की मद प)	
	viii कुल (35i से 35vii)		35viii		
36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36		
37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिदिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ		क 37		
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क			
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख			
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग			
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ			
	ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ड			
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च			
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ड.)]		38		
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना				
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		39		
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40		
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ		41		
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक		ख 42		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिदिष्ट कारबार से आय की संगणना				
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिदिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43		
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44		
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)		45		
46	विनिदिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)		46		
47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ		47		
48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)		ग 48		
49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिदिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)		ग 49		
घ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 37+ ख 42+ ग 48)		घ		
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिदिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			

v	मुजराई के बाद शेष हानि (i - iv)	
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें	

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजा व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
		15 (i)	30 (ii)	40 (iii)	45 (iv)
2	दर (%)				
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाउन वैल्यू (3) + (3क)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				

19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			कुछ नहीं	5	10			
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ड
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क		
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख		
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागू)	2 ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)			3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)			4
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)			5
	6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)			6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		

	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)	1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)		
क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ इ क 17ii)	2क	
ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ इ क 17iii)	2ख	
ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ इ क 17iv)	2ग	
घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ इ क 17v)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)		4
5	पोत (अनुसूची घ इ क 17vii)		5
6	कुल अवक्षयण (1ड+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
Ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)			
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)			
	क्रय/अधिग्रहण की तिथि	तिथि/माह/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तिथि	तिथि/माह/वर्ष
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य		क i
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		क ii
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(काi) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (का), इन अंकों को (का) के रूप में ले या अन्यथा (काii) लें]		क iii
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती		ख i
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख ii
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख iii
	iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		ख iv
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)		ख v
ग	शे-1 (क iii - ख v)			
घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			

ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)						क 1		
	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)								
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड		
	टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आजापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।								
2	विक्रय गिरावट से						क 2		
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य			2 क	(प्ररूप 3 ज ड क का 5)			
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति			2 ख	(प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड)			
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)						क 2	ग
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है								
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				3 क			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ							
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती			ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख ii			
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख iii			
		iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iv			
		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)			ख v			
	ग	शे-1 (3 क - ख v)				3 ग			
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)				3 घ			
	ड	साम्या शेयर या साम्या उनमूख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)				क 3	ड		
4	अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय)						*		
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त हैं				क 4	क		
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं हैं				क 4	ख		
5	अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्न) के विक्रय से								
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-							
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर			i क			
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			i ख			
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)			i ग			
		ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			क ii			
		iii	कुल (I ग + ii)			क iii			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ							
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती			ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख ii			
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख iii			
		iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iv			
		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)			ख v			
	ग	शे-1 (5 क iii - ख v)				5 ग			
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)				5 घ			
	ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)				क 5	ड		
6	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से								

	II												
	क	डीटीएए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि										क9	क
	ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम										क9	ख
10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)											क 10	
ख	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 निवासियों में लागू नहीं है)												
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)												
	क्रय/अधिग्रहण की तिथि			तिथि/माह/वर्ष			बिक्री/स्थानांतरण की तिथि			तिथि/माह/वर्ष			
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य						क i					
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य						क ii					
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(का) के (का) से 1.10 गुणा न होने की दशा में इस संख्या को (का) के रूप में ले या अन्यथा (का) लें]						क iii					
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ												
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती						ख i					
	ii	अधिग्रहण की लागत						ख ii					
	iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत						ख iii					
	iv	उन्नति की लागत						ख iv					
	v	उन्नति वर्ष						ख v					
	भक्ति सम्मिलित करें												
	vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत						ख vi					
	vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय						ख vii					
	viii	योग (ख ii + ख v + ख vi)						खviii					
ग	शे-1 (क iii - ख viii)						1	ग					
घ	धारा 54/54ख /54घ /54ङग /54 च /54 छ /54 छ क /54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1	घ					
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)											ख 1	ङ
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)												
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड						
	टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194इक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।												
2	विक्रय गिरावट से												
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य						2	क (प्ररूप 3 गड़क का 5)					
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति						2	ख (प्ररूप 3 गड़क का 6 (ङ)					
ग	शे-1 (2 क - 2 ख)						2	ग					
घ	धारा 54ङ ग /54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						2	घ					
ङ	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (2 ग -2 घ)											ख 2	ङ
3	बन्ध पत्र या डिबेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्न)												
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य						3	क					
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ												
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i					
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii					
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय						ख iii					
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)						ख iv					
ग	शे-1 (3 क - ख iv)						3	ग					
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						3	घ					

ड	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)	ख 3 ड	ड
4	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115ककग में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर के विक्रय से		
	क प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4 क	
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग शे-4 (क - ख iv)	4 ग	
	घ धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्योरो विनिर्दि-ट करें)	4 घ	
	ड उपर ख4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (4ग - 4घ)	ख 4ड	
5	किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत किया गया है		
	क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112 क के कॉलम 14	5क क	
	ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख	
	ग ऊपर ख5 पर पूँजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (5क - 5ख)	ख5ग	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिवेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
	क सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6क	
	ख धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्योरो विनिर्दि-ट करें)	6ख	
	ग शेयर या डिवेन्चर पर एलटीसीजी (6क - 6ख)	ख6ग	
7	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहा धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी.डी.आर के विक्रय से		
	क i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्योरे दर्ज करे		
	क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क	
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
	ग पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii कुल (ग + ii)	क iii	
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
	iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
	v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख v)	ख v	
	ग शे-4 (क iii - ख v)	7 ग	
	घ धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्योरो विनिर्दि-ट करें)	7 घ	
	ड अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (7ग - 7घ)	ख 7ड	
8	अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत किया गया है ।		

	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14)	8क		
	ख	धारा 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख		
	ग	ऊपर ख8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख)		ख8ग	
9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है)				
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई)	9 क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ख		
	ग	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क - 9 ख)		ख 9 ग	
	घ	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	9 ग		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ङ		
	च	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9घ - 9 ङ)		ख 9 च	
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से				
	क	i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें			
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	ik	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (ig + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
		ii	अधिग्रहण की लागत	ख ii	
		iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत	ख iii	
		iv	उन्नति की लागत	ख iv	
		v	उन्नति वर्ष	ख v	
			पंक्ति सम्मिलित करें		
		vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत	ख vi	
		vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	ख vii	
		viii	योग (ख i + ख iii + ख vi + ख vii)	खviii	
	ग	शे-1 (10 क iii - ख viii)			10 ग
	घ	धारा 54 घ / 54 च / 54 छ / 54 ज के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			10 घ
	ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ)			ख 10ङ
11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं			
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
	i	2019-20	54/54घ/54छ/54जक		
	ii	2020-21	54ख		
	ख	क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (क10 + ख 14) (ख 14 को शून्य लें, यदि हानि हो)			ग1
	ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय(अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)			ग2

ग3	"पूँजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभाय आय (ग1 + ग2)	ग3	
	दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xii+ख+ग)	ख11	
12	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 +ख12क2+ख12ख)	ख12	
क1	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय	ख12क1	
क2	धारा112के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय	ख12क2	
ख	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभाय	ख12ख	

13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभाय या विशेष दरों पर प्रभाय नहीं है										
क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए वस्तु	संघि के अनुसार (यदि प्रभाय नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई धारा	टीआई अधिनियम की अनुसार दर	टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6 या (9) के नीचे)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि										ख13क
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभाय एलटीसीजी की कुल रकम										ख13ख
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभाय कुल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड + ख5घ + ख6ग + ख7ड + ख8घ + ख9ग + ख9घ + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क)										ख14
ग	" पूँजी अभिलाभ " शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 10 + ख 14) (शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)										ग

घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना										
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित ब्यौरे दें										
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती										
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष							
	ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii								
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष							
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv								
	v	दावाकृत कटौती की रकम	क v								
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती										
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष							
	ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii								
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष							
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv								
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v								
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती										
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष							
	ii	औद्योगिक उपकरण के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii								
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष							
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv								
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v								
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती										
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घा i	दिन/मास/वर्ष							
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घाii								
	iii	विनिधान की तारीख	घाiii	दिन/मास/वर्ष							

	iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv	
ड	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	झ	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये आवासीय घर की लागत	झii	
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	झiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	झiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	झv	
च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चा	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चाii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चाiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चाiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	चv	
छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छा	दिन/मास/वर्ष
	ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छाii	
	iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छाiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छाiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	छv	
ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)			
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii	
	iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1छ + 1ज)			1 झ

2 धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कंपनी का पेन भरें

उ चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)

क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6ख*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड*+ आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ13ख	
ii		15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)							
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv	लागू दर		(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6ख*+ अ7*+ अ8ग*)							

v	डीटीएए दरें	अ9ख*							
vi	10%	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)							
vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 20%	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9घ*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)							
viii	डीटीएए दरें	आ13ख							
ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)								
x	मुजरा के पश्चात् शे-1 हानि (i-ix)								

इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क 9) में एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।

इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।

ऊ	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 X से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 Xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभाय अनुसूची एस.आई की मद 15ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

टिप्पण कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची-112क किसी कंपनी या इक्विटी ओररंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।														
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर-3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची वीए.डी.		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आमहानि के) मामले में शून्य (दर्ज करें (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सीजी . ग .का मद सं 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	का	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	कii	
ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	बचत खाते से	खा	
ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii	
iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii	
iv	पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	10(12)		
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	

	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ड	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ड
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	परिवार पेंशन			
	2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय			
	3	अधिसूचित देश(2) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
	4	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के तहत गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया। आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)				2
	क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहली आदि से जीत से आय		2क	
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खv + खvi)		2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष		2ग	
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घां से घxix का योग)		2घ	
	i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घा		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii		
	iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv		
	v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv		
	vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi		

3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2घ, 2ङ एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)			
	क(i)	व्यय/कटौतियां "ग" में इंद्राज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)	3क(i)	
	क(ii)	धारा 57(iiक) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)	3क(ii)	
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)	3ख	
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्राज	3ग	
	ग i	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि	3ग i	
	घ	योग	3घ	
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम			4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ			5
5क	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			5क
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3xi को अंक ले जाए			6

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क	प्राप्तियां	8क				
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियां 6xi के अंक प्रविष्टि करे)				8ङ	
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोंतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुडदौड़ खेल, जुआ , सट्टबाजी से जीत पर आय					
2	क्रम सं. 1a(i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
3	धारा 115क(1)(a)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय					
5	धारा 115गक (1)(a) के तहत 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)					
6	धारा 115A(1)(a)(i)के तहत 10% की दर से ब्याज से					

		वितरित आय (पी टी आई आय शामिल)					
7		धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)					
8		धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के तहत कराधान से राहत के लिए दावा नहीं					
9		डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाष्य लाभांश आय					
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का का 2v)	(अनुसूची ण द का 0)	
ii	वेतन	(अनुसूची थ का 0)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क37)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन